er No:1167/08 DATED 13-8-08 31

Reference No:J01/MP03/605/2008/RU-III DATED 4-8-08

पुलिस मुख्यालय,मध्यप्रदेश,भोपाल

कमांक–पुमु/अजाक/ए–3/1167 /2008 दिनांक 13 /8/2008
प्रति,

श्री आदित्य मिश्रा
संयुक्त सचिव
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
छटी मंजिल,'बी' विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली–110003

विषयः– रायसेन जिले में थाना सिलवाली के अन्तर्गत साईखेडा ग्राम के आदिवासी निवासी पप्पू ठाकुर आत्मज श्री िावप्रसाद ठाकुर की पुलिस हिरासत में मृत्यु बावत ।

सन्दर्भः– आपका पत्र कमांक अ.शा.पत्र संख्या–जे–01/म.प्र.–03/अत्याचार/605/2008/आर.यू.–III दिनांक 4.08.2008

———0———

कृपया विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसके अन्तर्गत रायसेन जिले में थाना सिलवानी के अन्तर्गत साईखेडा ग्राम के आदिवासी निवासी पप्पू ठाकुर आत्मज श्री िावप्रसाद ठाकुर की पुलिस हिरासरत मे मृत्यु होने के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया है जो निम्नानुसार है :–

1– दिनांक 27.7.08 को आवेदक संतोष साहू आ.हल्केवीर साहू उम्र 22 वर्ष निवासी साईंखेडा तहसील सलवानी द्वारा अपने खेत में लगे बिजली के तार आरोपी पप्पू ठाकुर द्वारा चोरी की रिपोर्ट थाना सिलवानी में की गई । उक्त रिपोर्ट पर थाना सिलवानी में अपराध कमांक 130/08 धारा 379 भादवि का प्रकरण दिनांक 27.7.08 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी पप्पू ठाकुर को पूछताछ हेतु आरक्षक 85 िावनंद गिरी एवं सैनिक 34 केशवसिंह के माध्यम से 16:05 बजे थाना सिलवानी बुलाया गया । संदेही से तार चोरी की पूछताछ की जा रही थी तभी संदेही से पेशाब करने के लिये जाने की ईच्छा जाहिर की । अतः उसे ड्यूटी में तैनात सैनिक 181 नारायण सिंह के माध्यम से थाने के अंदर स्थित बाथरूम में पेशाब करने के लिये भेजा गया । काफी देर तक संदेही बाहर नहीं निकला तो सैनिक नारायण सिंह द्वारा दरवाजे को धक्का देकर खोलकर देखा तो उसे संदेही पप्पू ठाकुर बाथरूम में अपने गमछे से बाथरूम की खिडकी में लगी राड से अपने गले में फांसी लगाया हुआ देखा । सैनिक नारायणसिंह द्वारा थाना प्रभारी एवं प्र.आ. मोहर्रिर को आवाज देकर बुलाया तभी उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक को जीवित बचा होने की संभावना को देखते हुये तत्काल गले में लगी हुई राड को खोलकर उसे नीचे उतारा गया तब तक पप्पू ठाकुर की मृत्यु हो चुकी थी । दिनांक 27.7.08 के 17:55 बजे सैनिक 181 नारायण सिंह की रिपोर्ट पर थाना सिलवानी में मर्ग कमांक 23/08 धारा 174 जा.फौ.पंजीबद्ध कर तत्काल जिला दंडाधिकारी रायसेन, पुलिस अधीक्षक रायसेन, एस.डी.एम. बेगमगंज तथा एसडीओपी बेगमगंज को सूचना दी जाकर मर्ग जॉच की कार्यवाही हेतु एस.डी.एम.बेगमबंज को थाना सिलवानी पहुंचने हेतु थाना प्रभारी सिलवानी द्वारा अनुरोध किया गया । इसके अतिरिक्त एफ.एस.एल. पार्टी के डॉ. के.के.अस्थाना वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एवं डॉ. सुनील गुप्ता वैज्ञानिक अधिकारी को मौके पर बुलाया गया साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सूचना देकर बुलाया गया । उपस्थित पंच–1 िावप्रसाद आ. जैता गौर (मृतक के पिता), 2–संजय मस्ताना आ. कैला'ा मस्ताना, 3–श्रवण राय आ. सीताराम जी राय, 4–राजीव समैया आ. बाबूलाल जी समैया, 5–जयबाबू जैन आत्मज राजकुमार जैन, 6–सुरे'ा आ.नाथूराम यादव, 7–मुन्ना उर्फ 'ाफीक आ. नसीर, 8–बालकि'ान आ. फूलसिंह रजक ,9–श्रीमती शोभाबाई पत्नि बालकि'ान रजक (ग्राम सरपंच), 10–खुमानसिंह आ. तुलसीराम मेहरा जनपद सदस्य की उपस्थिति में 'ाव के पंचायत नामा, कार्यवाही एस.डी.एम. बेगमगंज श्री जी.एस.धुर्वे के द्वारा की गई । ड्रेगन टार्च,विडियो केमरा की फले'ा लाईट की पर्याप्त व्यवस्था कर दिनांक 28.7.08 को 00:35 ।ड से 01:30 ।ड बजे तक 'ाव पंचायतनामा की कार्यवाही की गई ।

2– इसके पश्चात मृतक केश्ाव को पी.एम.रूम भेजकर डॉ. की पेनल जिनमें डा. पीयूष पंचरत्न,2–डॉ. संजय वा'ानिक, सी.एच.सी.सिलवाली, 3– डॉ.जे.पी. पटेल सी.एच.सी. बेगमगंज के द्वारा पी.एम. किया गया । मृतक का विसरा एवं हाईडबोन जप्त की गई । डॉ. ने मृतक की मृत्यु का कारण एक्स फीक्सिया ड्यू टू एण्टीमार्टम पार्सियल हेगिंग बताया गया है । मृतक का विसरा एवं हाईडबोन जप्त किया जाकर पृथक से जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोग'ााला भेजा गया है। इसके अतिरिक्त मृतक परिवार जनों के पुनः अनुरोध किये जाने पर मृतक का दोबारा पी.एम.भोपाल में मेडिकोलीगल संस्थान के संचलक के नेतृत्व में चिकित्सको द्वारा किया गया। ।

3– पुलिस अभीरक्षा में मृत्यु के लिये प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये पुलिस कर्मी थाना प्रभारी मुके'ा चौबे निरीक्षक, श्री

आर.डी. पटेल स.उ.नि., प्र.आर.-74 इंदरसिंह, आर.-226 संतोष रघुवं'ी थाना सिलवानी को निलंबित कर रक्षित केन्द्र रायसेन संबंद्ध किया गया है ।

4— मृतक पप्पू ठाकुर की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने के कारण माननीय न्ययालय जे.एम.एफ.सी.सिलवानी श्री संजय चौहान द्वारा न्यायिक जॉच हेतु अनुरोध किया गया है एवं उनके द्वारा जॉच के तारतम्य में मृतक की मृत्यु से संबंधित मर्ग डायरी कमांक-23/08 धारा 174 जा.फौ. एवं अपराध कमांक 130/08 धारा 379 भादवि की केस डायरियां तलब की गई है । माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक जॉच प्रारंभ की जा चुकी है तथा साक्ष्य हेतु दिनांक 11.8.2008 नियत की गई है ।

इसके अतिरिक्त मृतक पप्पू गौड के वारिसों को रू. 20,000-00 की नगद सहायता रा'ी जिला दंडाधिकारी रायसेन द्वारा दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू. 13,000-00 की आर्थिक सहायता हेतु अभ्यावेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र.'ासन की ओर भेजा गया है ।

प्रतिवेदन कृपया सादर प्रस्तुत है ।

(ए.के.श्रीवास्तव)
पुलिस महानिरीक्षक(अजाक)
पुलिस मुख्यालय,भोपाल

CONFIDENTIALITY NOTE : The contents of this message may be legally privilieged and confidential, for the use of the intended recipient(s) only. It should not be read, copied and used by anyone other than the intended recipient. If you have received this message in error, please immediately notify us at the above co-ordinates, preserve its confidentiality and delete it from your system. Thank You.